कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या–प्रशि.प्रको./ लखनऊ : दिनांक 25/3/ 2016

नवीन

–:: आदेश ::–

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–157/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या–1961/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 18.06.2014 एवं संख्या–965/सेक–2–पॉच–16–7(255)/2013, दिनांक 10.03.2016 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **निम्नलिखित चिकित्सकों** को परामर्शी (कन्सल्टैन्ट) के रूप में **उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय** में नियमित चिकित्साधिकारियों से पद भरे जाने अथवा एक वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया गया है।

(1) पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नही दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नही देय होगा।

(3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो से अधिक न हो। पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।

(4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भॉति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम–16–ए में प्राविधानित है।

(6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।

(7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भॉति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

(8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नही की जाएगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

2– सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।

3– सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र आवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

4– यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नही कराया जाता है, तो उनकी तैनाती / पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेषक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।

क्र0 सं0	नाम	पिता / पति का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त तिथि	विशेषज्ञता	चिकित्सालय / जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	डा0 सत्येन्द्र कुमार शुक्ला – 4456	स्व0 डा0 जगदीश स्वरूप शुक्ला	30.03.1953	31.03.2013 बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ	एम0बी0बी0एस0 एम0एस0 (आर्थो)	भाऊ राव देवरस संयुक्त चिकित्सालय महानगर लखनऊ
2.	डा0 जय प्रकाश नारायण सिंह –4448	श्री सुख नन्दन सिंह	01.06.1955	31.05.2015 लखनऊ	एम0बी0बी0एस0 डी0ए0	जिला चिकित्सालय, हापुड़
3.	डा0 बिरेश्वर नारायण–6420	स्व0 लक्ष्मी नारायण	23.10.1955	31.10.2015 बलिया	एम0बी0बी0एस0 एम0डी0 (चर्म एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ)	जिला चिकित्सालय, बलिया
4.	डा0 कंचन लता श्रीवास्तव–4575	डा0 शशांक श्रीवास्तव	11.11.1955	30.11.2015 कानपुर नगर	एम0बी0बी0एस0 डी0जी0ओ0	जिला महिला चिकित्सालय (ए0एच0एम0 डफरीन) कानपुर नगर
5.	डा0 भंवर सिंह – 7504	श्री श्रीचन्द्र	02.11.1955	30.11.2015 आगरा	एम0बी0बी0एस0 डी0सी0पी0	जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद
6.	डा0 जय प्रकाश भराद्वाज –5756	स्व0 गौरी शंकर भारद्वाज	02.10.1955	31.10.2015 लखनऊ	एम0बी0बी0एस0 डी0आर्थ (सर्जरी)	जिला चिकित्सालय, गाजियाबाद
7.	डा0 सुरेन्द्र सिंह –7503	श्री भूप सिंह	07.09.1955	30.09.2015 मथुरा	एम0बी0बी0एस0 डी0वी0डी0	जिला चिकित्सालय, मथुरा
8.	डा0 सुमन अस्थाना–3911	डा0 निरंकार सक्सेना	21.06.1953	30-06-2013 लखनऊ	एम0बी0बी0एस0 डी0जी0ओ0	झलकारी बाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ
9.	डा0 नरेन्द्र प्रताप सिंह – 4506	स्व0 बृज राज सिंह	02.02.1955	28.02.2015 फैजाबाद	एम0बी0बी0एस0 डी0टी0सी0डी0	जिला चिकित्सालय, बाराबंकी
10.	डा0 विश्व दीपक श्रीवास्तव – 6126	श्री रमाशंकर लाल श्रीवास्तव	07.07.1955	31.07.2015 बस्ती	एम0बी0बी0एस0 डी0वी0डी0	जिला चिकित्सालय, बस्ती
11.	डा0 गंगा प्रसाद चौधरी – 4960	स्व0 भिखारी	19.07.1955	31.07.2015 कानपुर नगर	एम0बी0बी0एस0 डी0सी0एच0	जिला चिकित्सालय, औरैया
12.	डा0 राम प्रकाश शर्मा–3607	स्व0 किशोरी लाल शर्मा	10.07.1953	31.07.2013 सहारनपुर	एम0बी0बी0एस0 डी0सी0एच0	जिला चिकित्सालय, मथुरा